न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 60/2020

कृष्णा पुत्री गुखराम पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी कलाना हाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

:— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा। :— प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा कलाना के खाता सं0 131/117 के खसरा संख्या 918 की 6.047है0, खसरा सं0 938 की 0.051है0, खसरा सं0 948 की 7.489है0 कुल किता 3 की 13.587है0 बारानी खातेदारी में वादिया की 134—1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जिसमें वादिया का नाम कृष्णा की बजाय उम्मेदकोर दर्ज हो गया जबकि वादिया का सही नाम कृष्णा है। अतः रोही मोजा कलाना के खाता सं0 131/117 में वादिया का नाम उम्मेदकोर की जगह कृष्णा किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच उम्मेदकोर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में उम्मेदकोर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी उम्मेदकोर नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादिया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि कृषि भूमि में उम्मेदकौर का हिस्सा बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.01.2023.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner